



# मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण

32, सिविल लाईन्स, मथुरा ।

प्राधिकरण की रूकमणी विहार आवासीय योजना में दुर्बल आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, स्टूडियो, 01बी0एच0के0 एवं 02बी0एच0के0 भवन एवं कदम्ब विहार आवासीय योजना एवं कृष्णा विहार (रांची बांगर) आवासीय योजना में दुर्बल आय वर्ग भवन 'प्रथम आओ प्रथम पाओ पद्धति' एवं 'जहा है जैसा है' के आधार पर भवन प्राप्त करने का

**स्वर्णिम अवसर**

योजना प्रारम्भ तिथि :- 26.01.2019 से योजना समाप्ति तिथि :- 31.03.2019 तक

योजना कोड-231

क्र० सं०	भवन श्रेणी	भवन का प्रकार	भवनों की संख्या	प्लिंथ एरिया/कारपेट एरिया (वर्ग मी० में)	भवनों का मूल्य (रु० लाख में)	पंजीकरण धनराशि 10 प्रतिशत + रु० 50/-
1	2	3	4	5	6	7
<b>(A) योजना का नाम -रूकमणी विहार आवासीय योजना, वृन्दावन, मथुरा ।</b>						
1.	स्टूडियो टाईप भवन	भूतल भवन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल	05 30	24.61/22.40 24.61/22.40	808580.00 714010.00	80910.00 71460.00
2.	01बी0एच0के0 टाईप भवन	भूतल भवन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल	21 91	42.73/39.90 42.73/39.90	1399520.00 1236240.00	140000.00 123675.00
3.	दुर्बल आय वर्ग टाईप भवन	भूतल भवन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल	36 127	24.61/19.10 24.61/19.10	648080.00 541000.00	64860.00 54150.00
4.	अल्प आय वर्ग टाईप (स्ववित्त पोषित पद्धति)	भूतल भवन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल	02 02	42.73/39.90 42.73/39.90	1371650.00 1177070.00	137215.00 117760.00
5.	अल्प आय वर्ग टाईप (किराया क्रय पद्धति)	भूतल भवन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल	22 57	42.73/39.90 42.73/39.90	1340520.00 1162360.00	134110.00 116290.00
6.	02बी0एच0के0 टाईप भवन	अपर ग्राउण्ड फ्लोर	08	46.27/42.50 45.33/41.57	2185050.00	218555.00
		प्रथम तल	09	46.27/42.50 45.33/41.57	2154250.00	215475.00
		द्वितीय तल	11	46.27/42.50 45.33/41.57	2123500.00	212400.00
		तृतीय तल	11	46.27/42.50 45.33/41.57	2092700.00	209320.00
		चतुर्थ तल	12	46.27/42.50 45.33/41.57	2061950.00	206250.00
<b>(B) योजना का नाम -कदम्ब विहार (रांची बांगर) आवासीय योजना, मथुरा ।</b>						
7.	दुर्बल आय वर्ग टाईप भवन	भूतल प्रथम तल	01 03	21.68 21.68	211300.00 187300.00	21180.00 18780.00
<b>(C) योजना का नाम -कृष्णा विहार (रांची बांगर) आवासीय योजना, मथुरा ।</b>						
8.	दुर्बल आय वर्ग टाईप भवन	भूतल	05	33.75	650847.00	65135.00

नोट :- भवन का आवंटन होने की दशा में रजिस्ट्री कराने से पूर्व भवन का 10 प्रतिशत लीजरेन्ट, जल संयोजन शुल्क, जी0एस0टी0 इत्यादि जो भी शुल्क देय होंगे वह आवंटनी को पृथक से जमा कराने होंगे। अन्य नियम व शर्तें प्राधिकरण की वेबसाईट [www.mvdamathura.com](http://www.mvdamathura.com) एवं पंजीकरण पुस्तिका/ब्रोशर में उपलब्ध है। प्रवृत्त विधि नियम लागू \*।

**आवेदन कैसे करें**

भवन हेतु पंजीकरण पुस्तिका/ब्रोशर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, कैंट शाखा, मथुरा, यूनियन बैंक, मयूर विहार, धौली प्यारु, मथुरा एवं पंजाब नेशनल बैंक, फेज-ए-आम कालेज, मथुरा से निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 26.01.2019 से दिनांक 31.03.2019 तक प्राप्त/जमा किये जा सकते हैं।

दूरभाष -0565-2471090, 2070360

सचिव

## कदम्ब विहार, कृष्णा विहार एवं रूक्मणी विहार सहित विभिन्न आवासीय योजना में कुछ आकर्षक बिन्दु

- मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा यह योजना वृन्दावन में ब्रज क्षेत्र के मध्य विकसित की गयी है।
- योजना धार्मिक एवं अध्यात्म की दृष्टि से अति-महत्वपूर्ण वृन्दावन-मथुरा शहरों के अत्यन्त सन्निकट एवं पूर्णतया विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत नियोजित है।
- रूक्मणी विहार आवासीय योजना आगरा-दिल्ली मार्ग (एन.एच.-2) पर स्थित छटीकरा से वृन्दावन जाने वाले मार्ग (छटीकरा मार्ग) पर स्थित है।
- रूक्मणी विहार योजना एन.एच.-2 से 2.50 कि०मी० एवं वृन्दावन इस्कॉन मंदिर से 1.50 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
- रूक्मणी विहार आवासीय योजना में नर्सिंग होम, इण्टर कॉलेज, सामुदायिक सुविधा, होटल, ग्रुप हाउसिंग, आश्रम -मठ, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, डाकघर एवं एकल आवासीय भवन/भूखण्डों हेतु विकसित की गयी है।
- कुशल नियोजक द्वारा योजना को आधुनिक तरीके से नियोजित किया गया है। हरा-भरा प्रदूषण रहित वातावरण।
- कदम्ब विहार, कृष्णा विहार आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वर्ण जयन्ती अस्पताल के पास स्थित है। भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व के महात्म्य के प्रतीक चिन्ह वृन्दावन में आवास हेतु लम्बी अवधि से चली आ रही मांग को दृष्टि में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा रूक्मणी विहार आवासीय योजना प्रस्तावित है जो छटीकरा रोड पर स्थित है, इस योजना में आवासीय भवनों की प्रस्तावना की गई है। रूक्मणी विहार योजना तीन ओर से प्रमुख सडकों के मध्य नैसर्गिक प्राकृतिक वातावरण में स्थित एक योजना है, जो वृन्दावन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के बीच में स्थित होने के कारण जहाँ एक ओर शान्तिपूर्ण परिवेश सुनिश्चित करती है, वही दूसरी ओर सुगम्य भी है।

## नियम व शर्तें

1. मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण की कदम्ब विहार, कृष्णा विहार व रूक्मणी विहार आवासीय योजना में आवासीय भवन के पंजीकरण/आवंटन हेतु योजना कोड-231 है ।
2. भवन का मूल्य, कोड, भवनों की संख्या, क्षेत्रफल, पंजीकरण धनराशि व अन्य विवरण संलग्न तालिका 01 में संलग्न है ।
3. आवेदक या उसके परिवार (परिवार से तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के पास प्रश्नगत अभिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय,, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उ0प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
4. यदि कोई व्यक्ति (व्यक्ति विशेष) अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा योजना में आवंटन हो जाता तो वह व्यक्ति आवंटित सम्पत्ति में से मात्र एक सम्पत्ति रख सकता है अन्य में जमा की गई धनराशि बिना किसी कटौती के वापिस ले सकता है।
5. दुर्बल आय वर्ग भवन हेतु आवेदन करने वाले आवेदक की वार्षिक आय अधिकतम रू0 3.00 लाख एवं अल्प आय वर्ग (किराया क्य पद्धति) के आवेदक की वार्षिक आय रू0 6.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये । योजना प्रारम्भ होने की तिथि से 6 माह के पूर्व जारी हुये आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा । आवेदककर्ता को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
6. आवेदन-पत्र नियम व शर्तों सहित रू0 300/- नकद जमा कर दिनांक 26.01.2019 से 31.03.2019 तक प्राप्त किये जा सकते है।
7. संलग्न तालिका 01 के कॉलम संख्या 7 में दर्शायी गयी धनराशि का भुगतान आवेदन पत्र के साथ यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, मयूर बिहार, धौली प्याऊ, मथुरा, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, कैंट शाखा, मथुरा एवं पंजाब नेशनल बैंक, फैज-ए-आम, कैंट, मथुरा, से पे-आर्डर/बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा । पंजीकरण की राशि के साथ रू0 50/- पंजीकरण शुल्क तालिका 1 के कॉलम 8 में सम्मिलित है। रू0 50/- पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापिस नहीं होगा।
8. आवंटन धनराशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि में नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी । यदि आवंटी देय धनराशि आवंटन पत्र जारी होने के बाद में जमा कर देता है तो नियमानुसार विलम्ब ब्याज देय होगी तथा तीन माह के अन्दर धनराशि जमा नहीं करायी जाती है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा ।
9. दुर्बल आय वर्ग भवनों के आवंटन पत्र जारी होने के उपरान्त शेष 80 प्रतिशत धनराशि 180 मासिक किश्तों में 12.25 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी। ब्याज को किश्तों में जोडकर भुगतान विवरण तैयार किया जायेगा । ब्याज की गणना रू0 के निकटतम पूर्णक में होगी । किश्तों से सम्बन्धित धनराशि पे-आर्डर/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी ।
10. किश्तों के भुगतान हेतु देय राशि की निर्धारित तिथि के बाद एक माह की अनुग्रह अवधि दी जायेगी । तथापि यदि देय तिथि को किश्त की किसी पिछली धनराशि कर भुगतान

- शेष रहता है तो अग्रिम किश्त पर कोई अनुग्रह अवधि नहीं दी जायेगी तथा भुगतान की मूल देय तिथि से 15.25 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा ।
11. पैनल ब्याज यदि मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है तो 15.25 प्रतिशत की वार्षिक दर से पैनल ब्याज सहित देय राशि का भुगतान करना होगा । तीन महीने की अवधि में ब्याज सहित भुगतान न करने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के आवन्टन निरस्त कर दिया जायेगा ।
  12. भवन का आवंटन प्रथम आओ प्रथम पाओ के अन्तर्गत जहाँ है जैसा है के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के दृष्टिगत किया जायेगा। इसलिये आवन्टन होने के उपरान्त समपर्ण /निरस्तीकरण की दशा में भवन के मद जमा की गयी समस्त धनराशि जब्त करली जायेगी । समपर्ण/निरस्तीकरण पर विचार नहीं किया जायेगा।
  13. यदि आवंटी किस्तों के भुगतान पश्चात निबन्धन हेतु सूचना पाने के 30 दिन के अन्दर निबन्धन कराकर कब्जा प्राप्त नहीं करता है तथा निबन्धन तीन माह तक कब्जा न लेने पर आवंटन निरस्त करने का प्राधिकरण को अधिकार होगा एवं बिन्दु सं0 12 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।
  14. भुगतान विवरण के अनुसार तीन मासिक/त्रैमासिक किश्तें अदा न करने पर भवन का नियमानुसार आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा तथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।
  15. इस योजना में ई.डब्लू.एस., आवेदकों के लिए अधिकतम आय सीमा 3.00 लाख तक एवं एल.आई.जी. के आवेदक को 6.00 लाख का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिनका आय कोड 01 है एवं अन्य आवेदकों की आय सीमा निर्धारित नहीं है जिनका आय कोड 02 है ।
  16. इन योजना में सभी वर्गों अर्थात् आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी के लिए प्रथम आओ प्रथम पाओ के अन्तर्गत वॉछित भवन "जहाँ है जैसा है" के आधार पर आवंटित किया जायेगा ।
  17. इन सभी योजनाओं के आवंटन प्रथम आओ प्रथम पाओ के अन्तर्गत जहां है जैसा है के आधार पर आवंटित किये जायेंगे । भवनों का आवंटन प्राधिकरण कार्यालय के सभागार में किया जायेगा । आवेदनकर्ता यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, मयूर बिहर, धौली प्याऊ, मथुरा, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, कैंन्ट शाखा, मथुरा एवं पंजाब नेशनल बैंक, फ़ैज-ए-आम, कैंन्ट, मथुरा से आवेदन प्राप्त कर भवन को स्थल पर जाकर भली-भांति देख ले सहमत होने पर आवंटन धनराशि जमा कराने के साथ इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि आवेदक ने भवन का भली-भांति निरीक्षण कर लिया है । आवेदक द्वारा जिस भवन की सहमति दी जायेगी उसे वरीयता के आधार पर आवेदक को आवंटित किया जायेगा। यदि किसी एक भवन के लिए एक ही दिन में एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण धनराशि जमा करायी जाती है तो उन सभी व्यक्तियों/आवेदकों के बीच में लॉटरी ड्रा के माध्यम से पर्ची निकालकर उक्त भवन का आवंटन किया जायेगा । प्रत्येक दिवस का आवंटन हेतु उपलब्ध भवन के नम्बर कैम्प में सूची के द्वारा प्रदर्शित किये जायेंगे ।
  18. जिन आवेदकों को भवन आवंटित नहीं हो पाते और जिनकी जमा राशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण के पास जमा है उन्हें पंजीकरण राशि

- बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी । अवधि की गणना इस प्रयोजन हेतु योजना बन्द होने की तिथि से ज़ा की तिथि के दो माह बाद की तिथि से की जायेगी ।
19. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी आवंटन सूची जारी होने के बाद एक माह के अन्दर एवं आवेदक द्वारा जमा धनराशि को मांगने के उपरान्त वापिस कर दी जायेगी ।
  20. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि आवेदक द्वारा जिस बैंक में धनराशि जमा कराई जायेगी उस बैंक की मथुरा में स्थित निर्धारित शाखा द्वारा कोरियर अथवा रजिस्टर्ड डाक से सीधे ही आवेदक को वापिस की जायेगी। आवेदक आवेदन पत्र में अपना खाता संख्या व बैंक का नाम अवश्य भरें । आवेदकों को धन वापसी के संबंध में बैंक आने की आवश्यकता नहीं है।
  21. असफल आवेदकों की धनराशि का भुगतान आरटीजीएस/नैफ्ट एवं डीडी के माध्यम से भी किया जायेगा ।
  22. भवनों का आवंटन 90 वर्ष के पट्टे के आधार पर किया जायेगा । पट्टे का अधिभार भवन के मूल्य का 10% लीजरेन्ट व अन्य देय शुल्क के रूप में कब्जा/पट्टा विलेख से पूर्व देय होगा । योजना के हस्तान्तरण तक आवंटियों से अनुरक्षण शुल्क इत्यादि प्राधिकरण द्वारा लिये जायेंगे ।
  23. आवंटी द्वारा भवन का समस्त मूल्य जमा करने के उपरान्त तीन महीने के अन्दर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर अपने खर्चे पर प्राधिकरण के निर्धारित प्रारूप में पट्टा विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्राधिकरण द्वारा तत्समय की गयी दण्डात्मक कार्यवाही आवंटी को मान्य होगी ।
  24. इन योजनाओं में भवन का कब्जा आवंटी द्वारा कुल मूल्य एवं पट्टा किराया एवं अन्य शुल्क आदि जमा कराने तथा पट्टा विलेख पंजीकरण के बाद दिया जायेगा और कब्जे से पूर्व पट्टा विलेख निष्पादन एवं पंजीकृत कराया जाना आवश्यक होगा जिसका व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा ।
  25. आवंटी को समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपिल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लगाये जाते हैं का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय-2 पर कराना होगा ।
  26. आवंटी विद्युत कनेक्शन एवं अन्य सुविधायें सम्बन्धित विभागों से अपने खर्चे पर स्वयं लेगा ।
  27. प्रश्नगत योजना में उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट के प्राविधान लागू होंगे ।
  28. योजना के स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित किये जाने पर नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को शुल्क आवंटी द्वारा स्वयं अदा करने होंगे ।
  29. भवन का पट्टा विलेख कराने से पूर्व लीजरेन्ट, जल संयोजन, कार्नर चार्ज, जी0एस0टी0 एवं अन्य शुल्क जो देय होंगे वह आवंटी को पृथक से जमा कराने होंगे । भवन का क्षेत्रफल/मूल्य लोकेशन के अनुसार घट-बढ़ सकता है ।

## अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें

1. जो आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं वे सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क कर पात्र होने की दशा में सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। जिसके अन्तर्गत ऐसे पात्र व्यक्ति जिनके पास अपना कोई घर न हो तथा उनकी आय निर्धारित आय वर्ग के अन्तर्गत आती हो, को पात्रता का आधार मानते हुए सी0एल0एस0एस0 स्कीम में सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने का प्राविधान है। किन्तु प्रधानमंत्री आवास योजना के सी0एल0एस0एस0 घटक के अन्तर्गत सब्सिडी का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होगा जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्धारित/स्वीकृत बैंकों से ऋण लेकर भवन मूल्य प्राधिकरण में जमा करेंगे। ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के सी0एल0एस0एस0 घटक के अन्तर्गत सी0एल0एस0एस0 का लाभ बैंक से नहीं प्राप्त होता है। उसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उसे भवन की सम्पूर्ण धनराशि (बिना सब्सिडी के) प्राधिकरण खाते में जमा करनी होगी। लाभार्थी के पहचान के लिये आधारकार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड, लाभार्थी के पैतृक जनपद के राजस्व अधिकारी से जारी आवास स्वामित्व प्रमाण पत्र को आधार माना जायेगा। हड़को द्वारा चयनित विजया बैंक एवं बैंक ऑफ इण्डिया से सी0एल0एस0एस0 घटक के अन्तर्गत सब्सिडी प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा सकता है।
2. आवंटन तक इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन करने का अधिकार उपाध्यक्ष मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों/आवंटियों को मान्य होंगे
3. तालिका एक में दर्शाये गये भवनों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
4. इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले में उपाध्यक्ष, म0वृ0वि0प्रा0 का निर्णय अंतिम होगा।
5. किसी भी विवाद की दशा में मथुरा न्यायालय को ही अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।
6. विवाद की दशा में पुस्तिका का हिन्दी ड्राफ्ट ही मान्य होगा।

**तालिका - 01**

कं० सं०	योजना का नाम व कोड	सम्पत्ति कोड	भवनों की संख्या	प्लिंथ एरिया / कारपेट एरिया (वर्ग मी० में)	भवनों का वास्तविक मूल्य (रु० लाख में)	सभी आवेदकों हेतु 10 प्रतिशत + 50/-	भुगतान योजना एवं भुगतान कोड
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	रूकमणी विहार	<b>दुर्बल आय वर्ग भवन</b>					1. <b>पंजीकरण राशि</b> : सभी वर्गों के आवेदकों हेतु 10 प्रतिशत निर्धारित है । 2. <b>आवंटन राशि</b> : सभी वर्गों के आवेदकों हेतु 10 प्रतिशत निर्धारित है । 3. <b>अवशेष राशि</b> : 1. दुर्बल आय वर्ग भवनों की अवशेष राशि 15 वर्ष की 240 मासिक किस्तों में 12.25 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी । 2. स्टूडियो भवनों की अवशेष राशि 2 वर्ष की आठ त्रैमासिक किस्तों में 12.25 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी । 3. 01बी0एच0के0 भवनों की अवशेष राशि 2 वर्ष की आठ त्रैमासिक किस्तों में 12.25 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी । 4. 02बी0एच0के0 भवनों की अवशेष 3 वर्ष की 12 त्रैमासिक किस्तों में 12.25 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी । 5. अल्प आय वर्ग (किराया कय पद्धति) भवनों की अवशेष धनराशि 120 मासिक किस्तों में 12.25 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी । 6. अल्प आय वर्ग (स्ववित्त पोषित पद्धति) भवनों की अवशेष धनराशि 01 वर्ष की 04 त्रैमासिक बिना ब्याज रहित किस्तों में देय होगी । <b>नोट :-'</b> 1. निर्धारित अवधि में धनराशि जमा न करने की दशा में नियमानुसार विलम्ब ब्याज देय होगी । 2. कार्नर भवन का आवंटन होने पर वास्तविक मूल्यांकन के उपरान्त धनराशि देय होगी ।
		भूतल	36	24.61/19.10	648080.00	64860.00	
		प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल	127	24.61/19.10	541000.00	54150.00	
2.	रूकमणी विहार	<b>स्टूडियो भवन</b>					
		भूतल	05	24.61/22.40	808580.00	80910.00	
		प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल	30	24.61/22.40	714010.00	71460.00	
3.	योजना कोड 231	<b>अल्प आय वर्ग (स्ववित्त पोषित पद्धति)</b>					
		भूतल	02	42.73/39.90	1371650.00	137215.00	
		प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल	02	42.73/39.90	1177070.00	117760.00	
4.	योजना कोड 231	<b>अल्प आय वर्ग (किराया कय पद्धति)</b>					
		भूतल	22	42.73/39.90	1340520.00	134110.00	
		प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल	57	42.73/39.90	1162360.00	116290.00	
5.	योजना कोड 231	<b>01बी0एच0के0 भवन</b>					
		भूतल	21	42.73/39.90	1399520.00	140000.00	
		प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल	91	42.73/39.90	1236240.00	123675.00	
6.	योजना कोड 231	<b>02बी0एच0के0 भवन</b>					
		भूतल	08	46.27/42.50 45.33/41.57	2185050.00	218555.00	
		प्रथम तल	09	46.27/42.50 45.33/41.57	2154250.00	215475.00	
		द्वितीय तल	11	46.27/42.50 45.33/41.57	2123500.00	212400.00	
		तृतीय तल	11	46.27/42.50 45.33/41.57	2092700.00	209320.00	
		चतुर्थ तल	12	46.27/42.50 45.33/41.57	2061950.00	206245.00	
7.	कदम्ब विहार	<b>दुर्बल आय वर्ग भवन</b>					
		भूतल	01	21.68	211300.00	21180.00	
		प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल	03	21.68	187300.00	18780.00	
8.	कृष्णा विहार	<b>दुर्बल आय वर्ग भवन</b>					
		भूतल	05	33.75	650847.00	65135.00	





